उत्तराखण्ड
पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं0दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड,
गढ़ीकैन्ट, देहरादून–248003,
e-mail: adventurewingutdb@gmail.com

पत्र सं0: 3056/2–7–904/2025–26 दिनांक: 02 सितम्बर, 2025

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
चमोली।

विषयः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् स्तर से ट्रैक ऑफ द ईयर– 2025 हेतु जनपद चमोली में अवस्थित चेनाब वेली के उद्घाटन के संबंध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् स्तर से जनपद चमोली में अवस्थित चेनाब वेली में ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम माह सितम्बर, 2025 से माह मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाना है, जिसका शुभारंभ माह सितम्बर, 2025 को जिला स्तर से किया जाना है।

उपरोक्त आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्थायें आपके स्तर से सम्पादित की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

1. ट्रैक ऑफ द ईयर में ट्रैकिंग टूर ऑपरेटर द्वारा लाये जाने वाले ट्रैकिंग दल, जो कि 8 से 12 व्यक्तियों का हो, को ट्रैकिंग के प्रारम्भ स्थल/Road Head पर आयोजन के संबंध में बैनर लगाकर दल की फोटोग्राफ के साथ प्रमाणित सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
2. ट्रैक ऑफ द ईयर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों के लिये टी–शर्ट व कैप जिसमें विभागीय Logo भी प्रदर्शित हो, न्यूनतम दर पर नियमानुसार आपके स्तर से तैयार करवायी जायेगी जिसका भुगतान पर्यटन मुख्यालय से यथा ससमय वास्तविक प्रमाणित व्यय वॉउचर के आधार पर किया जायेगा।
3. ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम पंजीकृत ट्रैकिंग एजेन्सी के माध्यम से करवाये जाने के साथ ही ट्रैकिंग एजेन्सियों को ट्रैक में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिये प्रथम 300 ट्रैकर्स हेतु प्रति ट्रैकर्स **₹2,000/– (दो हजार मात्र)** अनुवृत्ति (Subsidy) दी जायेगी, जिसका **चयन प्रथम आवत प्रथम पावत** के आधार पर किया जाना है।
4. अनुवृत्ति (subsidy) प्राप्त किये जाने हेतु ट्रैवल एजेन्सी यू0टी0टी0आर0 में पंजीकृत होना, ट्रैकिंग दल अन्य राज्य के ट्रैकर्स को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि ट्रैकिंग दल में उत्तराखण्ड के ट्रैकर्स सम्मिलित होते हैं, तो उत्तराखण्ड व अन्य राज्य के ट्रैकर्स का अनुपात 2:1 होना आवश्यक है (उदाहरण दल में 2 सदस्य उत्तराखण्ड राज्य तथा 1 अन्य राज्य/विदेशी का होना अनिवार्य होगा)।
5. टूर ऑपरेटर द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि ट्रैकिंग दल में ट्रैकर्स का बीमा तथा क्षतिपूर्ति बॉन्ड ट्रैक प्रारम्भ करने से पूर्व किया हो।
6. अनुवृत्ति (subsidy) प्राप्त किये जाने हेतु ट्रैवल एजेन्सी के द्वारा ट्रैकर्स की सूची, ट्रैकिंग कार्यक्रम किमी0 तथा एल्टीट्यूड़ सहित, ट्रैक की फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ एच0डी0 क्वालिटी में, ट्रैक के सुधारीकरण हेतु सुझाव, सत्यापित कर पर्यटन मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। तद्नुसार अनुवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित ट्रैवल एजेन्सी को सम्बन्धित जि0प0वि0अ0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. जिला प्रशासन के साथ दल की सुरक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाओं हेतु समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8. ट्रैक ऑफ द ईयर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तर से भी प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगें।
9. उद्घाटन तिथि का निर्धारण टूर ऑपरेटर/एजेन्सी/फर्म/संस्था, होटल/होमस्टे एसोसिऐशन के साथ विचार–विमर्श उपरान्त किया जाय। तिथि के सम्बन्ध में पर्यटन मुख्यालय को न्यूनतम 10 दिवस पूर्व सूचित करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(बंशी लाल राणा)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष
0|C

प0पृ0सं0– 3056 /2025 समदिनांकित।
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, चमोली को सूचनर्थ प्रेषित।
3. निदेशक, वित्त उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बंशी लाल राणा) 01/09/2025
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष
0|C

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड
पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं0दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड,
गढ़ीकैन्ट, देहरादून–248003,
e-mail: adventurewingutdb@gmail.com

पत्र सं0 3057 /2–7–904/2025–26 दिनांकः 02 सितम्बर, 2025

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

विषयः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् स्तर से ट्रैक ऑफ द ईयर– 2025 हेतु जनपद पिथौरागढ़ में अवस्थित बनकटिया बेस कैंप के उद्घाटन के संबंध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् स्तर से जनपद पिथौरागढ़ में अवस्थित बनकटिया बेस कैंप में ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम माह सितम्बर, 2025 से माह मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाना है, जिसका शुभारंभ माह सितम्बर, 2025 को जिला स्तर से किया जाना है।

उपरोक्त आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्थायें आपके स्तर से सम्पादित की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1. ट्रैक ऑफ द ईयर में ट्रैकिंग टूर ऑपरेटर द्वारा लाये जाने वाले ट्रैकिंग दल, जो कि 8 से 12 व्यक्तियों का हो, को ट्रैकिंग के प्रारम्भ स्थल/Road Head पर आयोजन के संबंध में बैनर लगाकर दल की फोटोग्राफ के साथ प्रमाणित सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
2. ट्रैक ऑफ द ईयर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों के लिये टी–शर्ट व कैप जिसमें विभागीय Logo भी प्रदर्शित हो, न्यूनतम दर पर नियमानुसार आपके स्तर से तैयार करवायी जायेगी जिसका भुगतान पर्यटन मुख्यालय से यथा ससमय वास्तविक प्रमाणित व्यय वॉउचर के आधार पर किया जायेगा।
3. ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम पंजीकृत ट्रैकिंग एजेन्सी के माध्यम से करवाये जाने के साथ ही ट्रैकिंग एजेन्सियों को ट्रैक में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिये प्रथम 300 ट्रैकर्स हेतु प्रति ट्रैकर्स **₹2,000/– (दो हजार मात्र)** अनुवृत्ति (Subsidy) दी जायेगी, जिसका **चयन प्रथम आवत प्रथम** पावत के आधार पर किया जाना है।
4. अनुवृत्ति (subsidy) प्राप्त किये जाने हेतु ट्रैवल एजेन्सी यू0टी0टी0आर0 में पंजीकृत होना, ट्रैकिंग दल अन्य राज्य के ट्रैकर्स को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि ट्रैकिंग दल में उत्तराखण्ड के ट्रैकर्स सम्मिलित होते हैं, तो उत्तराखण्ड व अन्य राज्य के ट्रैकर्स का अनुपात 2:1 होना आवश्यक है (उदाहरण दल में 2 सदस्य उत्तराखण्ड राज्य तथा 1 अन्य राज्य/विदेशी का होना अनिवार्य होगा)।
5. टूर ऑपरेटर द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि ट्रैकिंग दल में ट्रैकर्स का बीमा तथा क्षतिपूर्ति बॉन्ड ट्रैक प्रारम्भ करने से पूर्व किया हो।
6. अनुवृत्ति (subsidy) प्राप्त किये जाने हेतु ट्रैवल एजेन्सी के द्वारा ट्रैकर्स की सूची, ट्रैकिंग कार्यक्रम किमी0 तथा एल्टीट्यूड़ सहित, ट्रैक की फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ एच0डी0 क्वालिटी में, ट्रैक के सुधारीकरण हेतु सुझाव, सत्यापित कर पर्यटन मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। तद्नुसार अनुवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित ट्रैवल एजेन्सी को सम्बन्धित जि0प0वि0अ0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. जिला प्रशासन के साथ दल की सुरक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाओं हेतु समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8. ट्रैक ऑफ द ईयर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तर से भी प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगें।
9. उद्घाटन तिथि का निर्धारण टूर ऑपरेटर/एजेन्सी/फर्म/संस्था, होटल/होमस्टे एसोसिऐशन के साथ विचार–विमर्श उपरान्त किया जाय। तिथि के सम्बन्ध में पर्यटन मुख्यालय को न्यूनतम 10 दिवस पूर्व सूचित करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(बंशी लाल राणा)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष
o/c

प0पृ0सं0– 3057 /2025 समदिनांकित।
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनर्थ प्रेषित।
3. निदेशक, वित्त उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बंशी लाल राणा)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष
o/c

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड
पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं०दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड,
गढ़ीकैन्ट, देहरादून–248003,
e-mail: adventurewingutdb@gmail.com

पत्र सं०: 3058/2–7–904/2025–26 दिनांक: 02 सितम्बर, 2025

जिला पर्यटन विकास अधिकारी
उत्तरकाशी।

विषयः– उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् स्तर से ट्रैक ऑफ द ईयर– 2025 हेतु जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित गुलाबी कांठा के उद्घाटन के संबंध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् स्तर से जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित हनुमानचट्टी–गुलाबीकांठा में ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम माह सितम्बर, 2025 से माह मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाना है, जिसका शुभारंभ माह सितम्बर, 2025 को जिला स्तर से किया जाना है।

उपरोक्त आयोजन से सम्बन्धित व्यवस्थायें आपके स्तर से सम्पादित की जानी होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

1. ट्रैक ऑफ द ईयर में ट्रैकिंग टूर ऑपरेटर द्वारा लाये जाने वाले ट्रैकिंग दल, जो कि 8 से 12 व्यक्तियों का हो, को ट्रैकिंग के प्रारम्भ स्थल/Road Head पर आयोजन के संबंध में बैनर लगाकर दल की फोटोग्राफ के साथ प्रमाणित सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
2. ट्रैक ऑफ द ईयर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागियों के लिये टी–शर्ट व कैप जिसमें विभागीय Logo भी प्रदर्शित हो, न्यूनतम दर पर नियमानुसार आपके स्तर से तैयार करवायी जायेगी जिसका भुगतान पर्यटन मुख्यालय से यथा ससमय वास्तविक प्रमाणित व्यय वॉउचर के आधार पर किया जायेगा।
3. ट्रैक ऑफ द ईयर कार्यक्रम पंजीकृत ट्रैकिंग एजेन्सी के माध्यम से करवाये जाने के साथ ही ट्रैकिंग एजेन्सियों को ट्रैक में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिये प्रथम 300 ट्रैकर्स हेतु प्रति ट्रैकर्स ₹2,000/– (दो हजार मात्र) अनुवृत्ति (Subsidy) दी जायेगी, जिसका चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जाना है।
4. अनुवृत्ति (subsidy) प्राप्त किये जाने हेतु ट्रैवल एजेन्सी यू०टी०टी०आर० में पंजीकृत होना, ट्रैकिंग दल अन्य राज्य के ट्रैकर्स को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि ट्रैकिंग दल में उत्तराखण्ड के ट्रैकर्स सम्मिलित होते हैं, तो उत्तराखण्ड व अन्य राज्य के ट्रैकर्स का अनुपात 2:1 होना आवश्यक है (उदाहरण दल में 2 सदस्य उत्तराखण्ड राज्य तथा 1 अन्य राज्य/विदेशी का होना अनिवार्य होगा)।
5. टूर ऑपरेटर द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि ट्रैकिंग दल में ट्रैकर्स का बीमा तथा क्षतिपूर्ति बॉन्ड ट्रैक प्रारम्भ करने से पूर्व किया हो।
6. अनुवृत्ति (subsidy) प्राप्त किये जाने हेतु ट्रैवल एजेन्सी के द्वारा ट्रैकर्स की सूची, ट्रैकिंग कार्यक्रम किमी० तथा एल्टीट्यूड सहित, ट्रैक की फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ एच०डी० क्वालिटी में, ट्रैक के सुधारीकरण हेतु सुझाव, सत्यापित कर पर्यटन मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। तदनुसार अनुवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित ट्रैवल एजेन्सी को सम्बन्धित जि०प०वि०अ० के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
7. जिला प्रशासन के साथ दल की सुरक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाओं हेतु समन्वय करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
8. ट्रैक ऑफ द ईयर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तर से भी प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगें।
9. उद्घाटन तिथि का निर्धारण टूर ऑपरेटर/एजेन्सी/फर्म/संस्था, होटल/होमस्टे एसोसिऐशन के साथ विचार–विमर्श उपरान्त किया जाय। तिथि के सम्बन्ध में पर्यटन मुख्यालय को न्यूनतम 10 दिवस पूर्व सूचित करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(बंशी लाल राणा)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष
O/C

प०पृ०सं०–3058/2025 समदिनांकित।
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनर्थ प्रेषित।
3. निदेशक, वित्त उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बंशी लाल राणा)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
कार्यालयाध्यक्ष
O/C